इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-03-2018-1-पांच (44).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-03-2018-1-पांच(4), दिनांक 23 जनवरी 2018, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

''परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत् कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरे का विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्रमांक (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	राशि (3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है.	दो सौ पचास रुपये

(1)	(2)	(3)
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा.	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा.	दो हजार पांच सौ रुपये

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-03-2018-1-पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-03-2018-1-पांच (44), भोपाल, दिनांक 08 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F-A-3-03-2018-1-V(44).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-03-2018-1-V(4) dated the 23rd January 2018, namely:—

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the total amount of late fee payable under Section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onward, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the details of outward supplies in FORM GSTR-1 by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Amount (3)
1.	Registered persons who have nil outward supplies in the tax period.	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1.	One thousand rupees
3.	Registered persons having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1.	Two thousand and five hundred rupees

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.